I/197846/2024

संख्या :   / XVII-C -1 / 24–6(10)24

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग   **देहरादून : दिनांक :   मार्च, 2024**

विषय– शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु बजट की आवश्कता के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–3012 / शौ0स्थ0(सैन्यधाम) / सै0क0–3 / 895 दिनांक 22.02.24 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 1635.95 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2– उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु Scheme for Special Assistace to States for Capital Investment 2023-24 PART III के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि **रूपये 9.00 करोड़** (रूपये नौ करोड़) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकडों का मिलान करा लिया जाय।

3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य विशेष पर व्यय किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा बजट मैनुअल एवं न्य सुसंगत नियमों / शासनादेशों का अनुपालन अवश्य करा लिया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 12/03/2024 05:58 P

I/197846/2024

5) **जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।** कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।

6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

7) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्रावधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्रावधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)/2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश संख्या I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.24 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.24 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7(वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19.10.2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

11) **कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में** वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535) दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12) निर्माण कार्य की **तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण** अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Reinforcement एवं अन्य Hidden Work की Record Measurement के साथ–साथ फोटो/वीडियोग्राफी भी अवश्य कराई जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की पुनरीक्षित स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग तथा आन्तरिक एवं पहुंच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय। साथ ही आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल/स्टोन मैसोनरी रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाए।

13) आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नही है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों को नियमानुसार कार्य कराया जाए। योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनरीक्षित आगणन के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था से **एम0ओ0यू0** अवश्य सम्पादित कराया जाये।

14) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee के सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए। परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए। परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा अशासकीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vatt करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 12/03/2024 05:58 P

I/197846/2024

15) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

3— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—800—अन्य भवन—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—05—विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य—53—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश शासनादेश संख्या—130 / XXVII(6)/430 / एक / 2008 / 2019 दिनांक 29.03. 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोटल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर / अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

5— यह आदेश वित्त अनुभाग—1 की कम्प्यूटरजनित कमांक I/197048/24 दिनांक 08 मार्च, 24 में प्रदत्त सहमति (छायाप्रति संलग्न) के कम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या— (1) / XVII-C-1 / 24—6(10)24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
3 बजट निदेशालय, देहरादून।
4 प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
5 परियोजना प्रबन्धक।
6 वित्त अनुभाग—01, उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 12/03/2024 05:58 P